

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-29.12.2023

सेवा में,

**VEDANT SINGH,**

RAMKRIPAL STEEL PVT. LTD.,

WARD NO-1 RAJPURA ,JHUMRITELAIYA,KODERMA JHARKHAND.

**विषय:-** मौजा—BARWADIH, प्लॉट नं0—140,147,146,144,151,145,149,142, खाता नं0—59,53,57,92,60,52,95, वार्ड नं0—19, थाना—TELAIYA, जिला—कोडरमा में निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन—लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार निर्मित संबंधित फैक्ट्री भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, कोडरमा के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक—612 दिनांक—27.12.2023 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार निर्मित फैक्ट्री भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. निर्मित फैक्ट्री भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउण्ड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ—आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री भवन के चारों तरफ रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक—एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो—दो अदद डिलिवरी होज एवं दो—दो अदद ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2250 ली0 / मि0 क्षमता वाले एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय
5. फैक्ट्री भवन के गैस बैंक, स्टोर एवं फैक्ट्री भवन के शेष भागों में जहाँ ग्रीस, पेन्ट, ऑयल, कैमिकल का उपयोग होगा, उन क्षेत्रों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गॉग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. 180 ली0 / मि0 क्षमता वाले जॉकी पम्प का संस्थापन किया जाय।
7. फैक्ट्री भवन के सभी Office को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय।
8. इन सभी पम्प को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
9. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
10. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 09 Kg क्षमता वाले दो—दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Auto Modular Fire Extinguisher एवं रबड़ मैट से सुरक्षित किया जाय। मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
13. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
14. बिजली के मेन स्वीच बोर्ड के पास 4.5 के0जी0 क्षमता के 06-06 अदद सी0ओ0टू तथा 06 के0जी0 क्षमता के 08-08 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

15. फैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आक्रिमिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भण्डारण परिसर में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
16. फैक्ट्री भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
  - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
  - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
  - iii. Form Extinguisher 09 Ltr - 02 Nos.
  - iv. Fire Bitter - 08 Nos.
17. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
18. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
19. फैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
20. फैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
21. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
22. फैक्ट्री भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
23. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.9 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम),  
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।